कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र ,मीरजापुर

पत्रांकःसा0–3757 / मी0क्षे0 / 33 / दिनांक,मीरजापुर, फरवरी 06 , 2020

आदेश

रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 आरक्षित वन भूमि के नवीनीकरण के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट के पत्रांक 2869 / रेनुकूट / 15–38 दिनांक 13.02.2019 में यह उल्लेख किया गया है कि नार्दल कोल फील्ड् लि0 की ककरी परियोजना द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 में विज्ञापित वन भूमि भारत सरकार के अनुमति प्राप्त किये बिना मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुसागर पावर डीविजन एवं लैंको अनपरा पावर लिमिटेड अनपरा सोनभद्र को बनेत्तर प्रयोग हेतु लीज पर दी गयी है जो वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 का उल्लंघन है। इसी प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्रांक 2251 / एन.सी.एल. दिनांक 27.12.2019 द्वारा उल्लेख किया गया है कि ककरी परियोजना के लीज नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित 185.84 हे0 वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर सिर्फ खनन कार्य किया जा रहा है। इस वन भूमि में से लैंको / अनपरा या हिण्डालको पावर डीविजन रेनुसागर को कोई हिस्सा लीज पर नहीं दिया गया है तथा लैंको पावर अनपरा हिण्डालको रेनुसागर पावर डीविजन वर्क फाल व कन्वेयर बेल्ट स्थल कोयला खनन क्षेत्र से लगभग 2 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है बताया जाना परस्पर विरोधाभाषी एवं एक गम्भीर प्रकृति का विषय है तथा तथ्यों को छिपाते हुए भ्रामक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

विषयक प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0 प्र0, लखनऊ ने अपने कार्यालय के पत्रांक 1464 / 11–सी, एफ0पी0 / यू0पी0 / माइन्स / 29061 / 2017 दिनांक 23.01.2019 **(छाया प्रति संलग्न है)** द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जॉच समिति गठित करते हुए उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 112 / 81–2–2019–79 / 91 दिनांक 26.12.2019 **(छाया प्रति संलग्न है)** द्वारा की गयी आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण / प्रभागीय वनाधिकारियों की भूमिका एवं जॉच आख्या सहमति / संस्तुति मय अभिलेखों सहित तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण की जॉच हेतु निम्न प्रकार समिति का गठन किया जाता है–

1–	मुख्य वन संरक्षक,मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर	(अध्यक्ष)
2–	प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र	(सदस्य)
3–	प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा.	(सदस्य)

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या 3757 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि—प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में अपनी जॉच आख्या एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिति—प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में अपनी जॉच आख्या एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या 3757 ब/समदिनांक।

प्रतिलिति प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग को प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 1464/11—सी, एफ0पी0/यू0पी0/माइन्स/29061/2017 दिनांक 23.01.2020 के कम में इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण की जॉच हेतु गठित समिति को उनके द्वारा आवश्यकतानुसार अभिलेख मॉग किये जाने पर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर